[RTI अधिनियम, 2005 के अध् याय II धारा 4(1) बी का संदर्भ में]

अध् याय 1

संगठन, कार्य और कर्तव् य

[धारा 4 (1) (बी) (i)]

संगठन, कार्यो और कर्तव् यों का विवरण–

सं. क्र.	संगठन का नाम	पता	कार्य	कर्तव् य
1.	**राज् य शिक्षा केन् द्र**	पुस् तक भवन, बी-विंग,अरेरा हिल् स, भोपाल-462011 दूरभाषा : (0755) 2768390, 91,92,94, 95 फैक् स: 2552363, 2760561	राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने, जन शिक्षा योजना के समन्वय, पर्यवेक्षण और सहायता के लिए राज् य शिक्षा केन् द्र उत् तरदायी हैं।	• राज्य के स् कूलों में नामांकित समस्त बालकों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार के समस्त प्रयास करना। • स् कूलों के ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करना। • स् कूलोंको नियमित पर्यवेक्षण करना। • मुख्य शिक्षा संबंधी विकास सूचकों जैसे नामांकन, ठहराव, उपलब्धि, उपस्थिति प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक स्तरोन्नति, अनामांकित बालक-बालिकाओं की संख्या में कमी ओर स् कूल छोड़ने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या में कमी का आवश्यकतानुसार पुर्नविलोकन करना तथा उनमें सुधार सुनिश्चित करना। • प्रारंभिक और गतिविधियों शिक्षा के लिए पाठ्यचर्चा तथा पाठ्य पुस्तकें विहित करना। • अध्यापन के लिए उपयुक्त पद्धतियाँ तथा तकनीकी विकसित करना। • अध्यापन के लिए उपयुक्त पद्धतियाँ तथा तकनीक विकसित करना। • माड्यूलर प्रशिक्षण सामग्रियों को तैयार करने में जिलों के साथ समन्वय करना और शिक्षकों एवं अन्य कृत् यकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। • शिक्षा में गुणवत्ता के साधार के लिए अनुसंधान संबंधी कार्य हाथ में लेना। • विभिन्न विषयों को सीखने में आने वाली कठिनाईयों को जानने का प्रयास करना

				तथा उन्हें दूर करने के उपाय आरंभ करना। • शैक्षणिक तथा शैक्षिक गतिविधियों को कार्यान्वित करना तथा सम्पूर्ण साक्षरता, सतत शिक्षा आदि जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जबावदेह होना। • प्रारंभिक शिक्षा तथा गतिविधियों शिक्षा के क्षेत्र में नई पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। • जिला शिक्षा योजना के आधार पर राज्य शिक्षा योजना तैयार करना तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। • जिला वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार राज्य वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट तैयार करना। • जिला शिक्षा केन्द्रों, जनपद शिक्षा केन्द्रों तथा जनशिक्षा केन्द्रों की गतिविधियों का समय-समय पर पुर्नविलोकन करना। • राज्य शिक्षा कोष का संधारण। • प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ चलाने वाले अन्य शासकीय विभागों के साथ समन्वय करना। • शैक्षणिक अनुभवों का लाभ उठाने के लिएशिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ समन्वय करना। ----------*----------*----------
			(प्रौढ़ शिक्षा इकाई) मुख्य दायित्व साक्षरता की गतिविधियों का संचालन करना, पर्यवेक्षण करना	• राज्य में साक्षरता से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना। • साक्षरता की दर को बढ़ाने हेतु विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करना। • सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समतुल्यता कार्यक्रम, आय उपार्जन कार्यक्रम, जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम का संचालन। • सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण पुस्तकालयों एवं संस्कृतिक केन्द्रो का

			एवं प्रत्येक जिलों को कार्यक्रम संचालन हेतु बंटन प्रदान करना है। **(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)** समस्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।	संचालन। • साक्षरता कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करना। • साक्षरता कार्यक्रमों हेतु राज्य शासन एवं भारत शासन से बंटन प्रदान करना । प्राप्त बटंन को जिलों को उपलब्ध कराना। ----------*----------*---------- • राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, शोध हेतु योजना तैयारकर क्रियान्वित कराना। • औपचारिक एवं गैर औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें विकसित करना। • शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। • शिक्षा में उचित मूल्यांकन की तकनीक और प्रक्रिया का विकास करना। • शिक्षकों की विषयगत आवश्यकताओं का आंकलन कर सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना। • भावी शिक्षक तैयार करने हेतु सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना। • प्रारंभिक शिक्षा में लोक व्यापीकरण तथा गुणात्मक सुधार का कार्य करना। • शैक्षिक समस्याओं को हल करने में परस्पर समन्वय एवं निदानात्मक प्रक्रिया विकसित करना। • प्रदेश में प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना। • सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना एवं उन्हें उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना। • सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रम आयोजित कराना।

			(आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान) अंग्रेजी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री निर्माण में गुणात्मक विकास का कार्य करना।	• शैक्षिक प्रक्रिया/प्रविधियों/तकनीकी विकास हेतु नवाचार को प्रोत्साहित करना। • विद्यालयीन शैक्षिक गतिविधियों की अकादमिक मॉनिटरिंग आयोजित करना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसाओं एवं नीतियों के अनुरूप डॉइ ट्स, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास सुनिश्चित करना। ----------*----------*---------- • राज्य के उच्चतर/उच्च/माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी भाषा शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार करना। • विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षक प्रषिण सामग्री का निर्माण करना। • राज्य के शिक्षक प्रशिक्षक संस्थानों के अंग्रेजी भाषा शिक्षकों को अंग्रेजी विषय की आधुनिक शिक्षण पद्वितयों से अवगत कराना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना। • शिक्षकों/शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये दीर्घकालीन/अल्पकालीन अवधि के/उन्मुखीकरण/ कार्यशाला/सेमीनार इत्यादि आयोजित करना। • अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन क्षेत्र में एवंप्रश न-पत्रों के निर्माण कार्य में सहयोग करना। • समय-समय पर आयोजित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभाव शीलता का आंकलन एवंमूल्यांकन करना। • आंग्ल भाषा शिक्षण क्षेत्र में सतत् उन्नयन एवं स्तरीकरण हेतु केन्द्रीय एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना। • केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर की स्थापना कर उनको शैक्षिक एवं प्रशासकीय मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उनके सुचारू संचालन हेतु मॉनीटरिंग करना।